भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-932
सोमवार, 08 फरवरी, 2021/19 माघ, 1942 (शक)

शहरी गरीबों हेतु रोजगार गारंटी

932 श्री अशोक महादेवराव नेतेः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का शहरी गरीबों हेतु मजदूरी, रोजगार गारंटी और आजीविका सुनिश्चित करने हेतु कोई योजना आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा शहरी गरीबों और बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार गारंटी और आजीविका सुनिश्चित करने हेतु अन्य क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा शहरी बेरोजगार युवकों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ.): शहरी निर्धन परिवारों की निर्धनता एवं अरक्षितता को कम करने के लिए, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय लाभप्रद स्व-रोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार अवसरों तक उनकी पहुंच हेतु उन्हें समर्थ बनाकर केंद्र प्रयोजित योजना-नामतः "दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" का कार्यान्वयन कर रहा है। मिशन के कौशल प्रशिक्षण और नियोजन (ईएसटी एंड पी) घटक के माध्यम से रोजगार का उद्देश्य शहरी निर्धनों को ढांचागत और बाजारोन्मुख प्रमाणित पाठ्यक्रमों के माध्यम से उनकी आय बढ़ाने के लिए कौशल प्रदान करना है जो कि अंततः रोजगार एवं/या स्व-रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं जो बेहतर जीवन स्तर और स्थायी आधार पर शहरी निर्धनता को कम करेगा। इसके अलावा, स्व-रोजगार कार्यक्रम (एसईपी) घटक लाभकारी स्व-रोजगार उपक्रम या सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना के लिए शहरी निर्धनों के व्यक्तियों/समूहों/एसएचजी को वित्तीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करता है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के बहाल पुनःस्थापन प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सहायता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके परम्परागत शिल्पकारों और बेरोजगार युवाओं हेतु स्व-रोजगार के अवसर सृजित कर उनकी सहायता करना है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भी आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करवाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने और उनकी रोजगार तथा स्व-रोजगार की आवश्यकता को पूर्ण करने में सहायता करेगी।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं प्रतिक्रियाशील ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है।

*****